BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT),

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 262 OF 2020

IN THE MATTER OF:

Hakam Singh & Anr. …Applicant

Versus

State Of Rajasthan & Ors. …Respondents

I N D EX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL COMPLIANCE REPORT-II ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD (OF THE ORDER DATED 10.11.2021)	
2.	**Annexure 13** The Copy of the Charge sheet dated 07.03.2022	
3.	**Annexure 14** The Copy of the Charge sheet dated 29.04.2022	

RESPONDENT

THROUGH

(NISHANT AWANA)
for NMA Law Chambers
Advocates
For RSPCB
6/2, lower Ground Floor,
Jungpura - B, Delhi-110014
Ph.- 011 35550654 +91 7838760760
mail@nmalawchambers.in/ nishantawana@outlook.com

NEW DELHI
DATED: 02.05.2022

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 262 OF 2020

[Earlier O.A. No. 37 of 2019 (CZ)]

IN THE MATTER OF:

Hakam Singh & Another ...Applicant(s)

Versus

State of Rajasthan & Others ...Respondent(s)

ADDITIONAL COMPLIANCE REPORT- II ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD (OF THE ORDER DATED 10.11.2021)

1. By an Order dated 10.11.2021 passed by this Hon'ble Tribunal, this Hon'ble Tribunal, *inter alia*, directed the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter referred to as "**the Board**") as follows:-

   i. to ascertain the adverse impact of operation of illegally operating brick kiln units in Sri Ganganagar District, Rajasthan, particularly after the Order dated 11.02.2021 passed by this Hon'ble Tribunal;

   ii. to report about the guidelines relating to siting criteria;

   iii. to close the illegally operating brick kiln units and make them accountable for past violations on the principle of 'polluter pays';

   iv. to pass appropriate orders due to non-availability of safe infrastructure facility by the brick kilns operating units, keeping in mind the 'precautionary' principle of environmental laws;

   v. to submit an action taken report about the signatory Mr. Amit Soni, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Hanumangarh to the earlier report dated 30.10.2021; and

   to forthwith take remedial actions to enforce the environmental rule of law.

NOTARY Umesh Kumar Meena Advocate Jaipur (Raj.) India Reg No. 62 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY PUBLIC, JAIPUR (RAJ.) INDIA

02 MAY 2022

2. That in compliance of the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the State Board has filed the compliance report dated 11.03.2022.

3. That the State Board has also filed an additional compliance report before this Hon'ble Tribunal on 11.04.2022. The matter was to be listed on 20.04.2022, but the same was adjourned for 06.05.2022.

4. That in point 5.2 and 5.5 of the compliance report dated 11.03.2022, the State Board makes following additional submissions, which are as follows:-

A) **Point 5.2**- The State Board has issued charge sheet against the then Regional Officer at Bikaner, Mr. Prema Lal Raiger by charge sheet dated 07.03.2022 for non-compliance of Hon'ble Tribunal orders. The photo copy of the charge sheet dated 07.03.2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-13**.

B) **Point 5.5**- The State Board has issued charge sheet against the Regional Officer at Hanumangarh, Mr. Amit Soni by charge sheet dated 29.04.2022 for non-compliance of Hon'ble Tribunal orders. The photo copy of the charge sheet dated 29.04.2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-14.**

The additional compliance report is submitted accordingly for the perusal and further directions of this Hon'ble Tribunal.

Prepared and submitted by:

Rajender Kumar Bora
Senior Environment Engineer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur, (Rajasthan)

NOTARY Umesh Kumar Meena Advocate Jaipur (Raj.) India Reg. No. 6 30 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY PUBLIC, JAIPUR (RAJ.) INDIA
02 MAY 2022

NH-277

Annexure-13

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
Rajasthan State Pollution Control Board
मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
Phone : 0141-2716800, 2716816 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
TollFree HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांकः एफ 10(277)/रा.प्र.नि.मं./विधि/एनजीटी/2019./250 दिनांकः 07/03/2022

ज्ञापन

श्री प्रेमालाल रेगर, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जॉच कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक जॉच कार्यवाही से सम्बन्धित अभिकथन, जिनके आधार पर जॉच कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किए गए हैं वे संलग्न किए गए हैं।

श्री प्रेमालाल रेगर को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री प्रेमालाल रेगर को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए किसी भी संसगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहे तो उन अभिलेखो का निरीक्षण सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह में उपस्थित होकर कर सकते हैं, किन्तु यह घ्यान में रहे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री प्रेमालाल रेगर को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित समय अवधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कायवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री प्रेमालाल रेगर का घ्यान राजस्थान सिविल सेवाए (आचारण) नियम 1971 के नियम–24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी मण्डल/सरकार के अधीन अपने मामलें में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा न लाने की ऐसी कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालना करें और इस प्रकरण के सन्दर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारण की जावेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आपकी पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम–24 के उल्लधन के सन्दर्भ में कार्यवाही की जायेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवायें।

(आनन्द मोहन)
सदस्य सचिव

संलग्न आरोप पत्र व अभिकथनों का विवरण

श्री प्रेमालाल रेगर,
वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता,
रा0रा0प्र0नि0मं0,
मण्डल मुख्यालय जयपुर

श्री प्रेमालाल रेगर, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0 बीकानेर के विरूद्ध आरोप पत्र।

आरोप संख्या 1

यह कि आप दिनांक दिनांक 30–6–2017 से 22–7–2021 तक क्षेत्रीय अधिकारी,रा0रा0प्र0नि0मं0, बीकानेर के पद पर पदस्थापित रहे। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) दिल्ली द्वारा दिनांक 11–2–2021 को पारित आदेश के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में स्थित अवैध ईट भट्टों का संचालन रोकने हेतु एवं अवैध संचालन अवधि के लिए पर्यावरण क्षति पूर्ति की वसूली करने इत्यादि के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको ई–मेल दिनांक 15–02–2021, 17–06–2021 व 15–07–2021 तथा पत्र दिनांक 16–03–2021 द्वारा निर्देशित किया गया था लेकिन आप द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर के पद पर पदस्थापित रहते हुए उक्त आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की गई। जैसाकि अभिकथनों के विवरण संख्या 1 में अंकित है।

आरोप संख्या 2

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों की कोई पालना आप द्वारा नहीं करने के कारण आपको दिनांक 03–12–2021 को कारण बताओं नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 12–01–2022 को प्रस्तुत किया गया जो अभियोजन द्वारा सन्तोषजनक नही पाया गया। जैसाकि अभिकथनों के विवरण संख्या 2 में अंकित है।

(आनन्द मोहन)
सदस्य सचिव

अभिकथनों का विवरण जिनके आधार पर श्री प्रेमालाल रेगर, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता तत्कालीन क्षैत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, बीकानेर के विरूद्ध आरोप विवरण पत्र तैयार किए गए हैं।

आरोप संख्या 1 से सम्बन्धित अभिकथन

यह कि आप दिनांक दिनांक 30–6–2017 से 22–7–2021 तक क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, बीकानेर के पद पर पदस्थापित रहे। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) दिल्ली द्वारा दिनांक 11–2–2021 को ओए नम्बर 262/2020 हाकिम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में आदेश पारित कर श्रीगंगानगर जिले में स्थित अवैध ईट भट्टों का संचालन रोकने हेतु एवं अवैध संचालन अवधि के लिए पर्यावरण क्षति पूर्ति की वसूली करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने यह भी निर्देश दिये थे कि जो ईट भटटे संचालन सम्मति के बिना कार्यरत हैं एवं जिनको पूर्व में कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है, को तत्काल प्रभाव से बन्द करवाया जावे तथा जिन ईट भट्टों के पास संचालन सम्मति है, की जॉच की जावे कि वह निर्धारित मानकों की पालना कर रहे हैं या नहीं। उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको ई–मेल दिनांक 15–02–2021, 17–06–2021 व 15–07–2021 तथा पत्र दिनांक 16–03–2021 द्वारा निर्देशित किया गया था लेकिन आप द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर के पद पर पदस्थापित रहते हुए उक्त आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की।

आरोप संख्या 2 से सम्बन्धित अभिकथन

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों की कोई पालना आप द्वारा नहीं करने के कारण आपको दिनांक 03–12–2021 को कारण बताओं नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 12–01–2022 को प्रस्तुत किया गया जो सन्तोषजनक नही पाया गया।

आपने अपने स्पष्टीकरण में अवगत करवाया, कि जोईन्ट कमेटी के गठन के अभाव में एवं कोविड–19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के निर्देशों/आदेशों की पालना नहीं की जा सकी, जबकि जोइन्ट कमेटी के गठन से अवैध ईट भट्टों पर कार्यवाही करने का कोई सारोकार नहीं था एवं अवैध ईट भटटों के विरूद्ध कार्यवाही आपको क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर के पद की हैसियत से अपने स्तर से ही समय पर करनी थी, जो आप द्वारा नहीं की गई। जहॉ तक कोविड–19 का प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश से लॉकडाडन के कारण दिनांक 17–4–21 से 24–5–21 तक ही कार्यालय बन्द रहे थे परन्तु आप द्वारा दिनांक 15–2–21 से 16–4–21 एवं 25–5–21 से 14–7–21 के कार्यकाल में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों की पालना करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर माननीय न्यायालय एवं मण्डल मुख्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना की है जो आपका कर्त्तव्य निवर्हन व कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

(आनन्द मोहन)
सदस्य सचिव

Annexure-14

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-2716800, 2716816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांक: एफ.1(396)/रा.प्र.नि.मं./स्था./6056 दिनांक: 29/04/2022

ज्ञापन

श्री अमित सोनी, पर्यावरण अभियन्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाँच कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक जाँच कार्यवाही से सम्बन्धित अभिकथन, जिनके आधार पर जाँच कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किए गए हैं वे संलग्न किए गए हैं।

श्री अमित सोनी को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री अमित सोनी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए किसी भी ससगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहे तो उन अभिलेखों का निरीक्षण सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय जयपुर के कार्यालय मे उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह में उपस्थित होकर कर सकते हैं, किन्तु यह ध्यान मे रहे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखो को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री अमित सोनी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित समय अवधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कायवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री अमित सोनी का ध्यान राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम–24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी मण्डल/सरकार के अधीन अपने मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा न लाने की ऐसी कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालना करें और इस प्रकरण के सन्दर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारण की जावेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आपकी पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम–24 के उल्लंघन के सन्दर्भ में कार्यवाही की जायेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवायें।

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव

संलग्नः आरोप पत्र व अभिकथनों का विवरण

श्री अमित सोनी,
पर्यावरण अभियन्ता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा0रा0प्र0नि0मं0,
हनुमानगढ़

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone 0141-2716800, 2716816 e-mail member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No 18001806127 Ext. 7

श्री अमित सोनी, पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, हनुमानगढ के विरूद्ध आरोप पत्र।

आरोप संख्या 1

यह कि आप दिनांक 28–07–2021 से क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, हनुमानगढ के पद पर पदस्थापित हैं। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण), दिल्ली द्वारा दिनांक 11–02–2021 को पारित आदेश के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में स्थित अवैध ईंट भट्टों का संचालन रोकने हेतु एवं अवैध संचालन अवधि के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली करने इत्यादि के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर को ई–मेल दिनांक 15–02–2021, 17–06–2021 व 15–07–2021 तथा पत्र दिनांक 16–03–2021 द्वारा निर्देशित किया गया था लेकिन उनके द्वारा उक्त आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं की गई एवं क्षेत्रीय कार्यालय, हनुमानगढ के गठन के फलस्वरूप हनुमानगढ का क्षेत्राधिकार, आदेश क्रमांक एफ.1(1)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2233 दिनांक 05–04–2021 से क्षेत्रीय कार्यालय, हनुमानगढ मे आने के कारण उक्त निर्देशों/आदेशों की पालना आपके द्वारा की जानी थी। जैसा कि अभिकथनों के विवरण संख्या 1 में अंकित है।

आरोप संख्या 2

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) द्वारा दिनांक 10–11–2021 को आदेश दिये गये कि Mr. Amit Soni, Regional Officer, RSPCB, Hanumangarh and Ummed Singh Ratnu, District Nodal Officer, SDM-Sriganganagar are liable to be dealt with for filing misleading and erroneous report to this Tribunal आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई टिप्पणी प्रस्तुत की। जैसा कि अभिकथनों के विवरण संख्या 2 में अंकित है।

आरोप संख्या 3

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशो की पालना में दिनांक 28–07–2021 से 30–10–2021 तक आप द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं कर माननीय न्यायालय एवं मण्डल मुख्यालय के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की है जो आपका कर्त्तव्य निवर्हन व कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण संख्या 3 में अंकित है।

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-2716809, 2716816 e-mail: member.secretary@rpcb.nic.in
Toll Free Helpline No. 18001806127 Ext. 7

अभिकथनों का विवरण जिनके आधार पर श्री अमित सोनी, पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, हनुमानगढ़ के विरूद्ध आरोप विवरण पत्र तैयार किए गए हैं।

आरोप संख्या 1 से सम्बन्धित अभिकथन

यह कि आप दिनांक 28–07–2021 से क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत हैं। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) दिल्ली द्वारा दिनांक 11–02–2021 को ओ.ए. नम्बर 262/2020 हाकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में आदेश पारित कर श्रीगंगानगर जिले में स्थित अवैध ईंट भट्टों का संचालन रोकने हेतु एवं अवैध संचालन अवधि के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने यह भी निर्देश दिये थे कि जो ईंट भट्टे संचालन सम्मति के बिना कार्यरत हैं एवं जिनको पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, को तत्काल प्रभाव से बन्द करवाया जावे तथा जिन ईंट भट्टों के पास संचालन सम्मति है, की जाँच की जावे कि वह निर्धारित मानकों की पालना कर रहे हैं या नहीं। उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बीकानेर को ई–मेल दिनांक 15–02–2021, 17–06–2021 व 15–07–2021 तथा पत्र दिनांक 16–03–2021 द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा उक्त आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं की गई एवं क्षेत्रीय कार्यालय, हनुमानगढ़ के गठन के फलस्वरूप हनुमानगढ़ का क्षेत्राधिकार, आदेश क्रमांक.एफ.1(1)/रा.प्र.नि.मं./स्था/2233 दिनांक 05–04–2021 से क्षेत्रीय कार्यालय, हनुमानगढ़ में आने के कारण उक्त निर्देशों/आदेशों की पालना आपके द्वारा की जानी थी।

आरोप संख्या 2 से सम्बन्धित अभिकथन

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) द्वारा दिनांक 10–11–2021 को आदेश दिये गये कि "Mr. Amit Soni, Regional Officer, RSPCB, Hanumangarh and Ummed Singh Ratnu, District Nodal Officer, SDM-Sriganganagar are liable to be dealt with for filing misleading and erroneous report to this Tribunal." लेकिन इस सम्बन्ध में भी आप द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया न ही इस सम्बन्ध मे कोई टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

आरोप संख्या 3 से सम्बन्धित अभिकथन

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों की कोई पालना आपके क्षेत्रीय अधिकारी, हनुमानगढ के पदस्थापन के दौरान नहीं करने के कारण आपको दिनांक 03–12–2021 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10–12–2021 को प्रस्तुत किया गया, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

आपने अपने स्पष्टीकरण में अवगत करवाया है कि दिनांक 16–03–2021 को जारी किये गये पत्र के समय आप क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में कार्यरत नहीं थे न ही इस तरह का कोई पत्र प्राप्त हुआ एवं दिनांक 28–07–2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, हनुमानगढ में कार्यग्रहण करने के पश्चात् आपने निरन्तर इस दावत् कार्यवाही की। परन्तु आप द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टो के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं आप द्वारा दिनांक 28–07–2021 से 30–10–2021 तक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) एवं मण्डल मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं कर माननीय न्यायालय एवं मण्डल मुख्यालय के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की है, जो आपका कर्त्तव्य निर्वहन व कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव